जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 72वीं बैठक दिनांक 16-10-2004 को सायं 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.) एवं एजेण्डा सं0 2 से 3 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री आर.के. वर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती दुर्गा जोशी, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती नलिनी कटौतियां, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गिरीश शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।

<u>एजेण्डा विवरण:-</u>

एजेण्डा सं0 1 :- इन्द्रा नगर गृ.नि.स.स. की श्रवण विहार योजना के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया व प्राधिकरण की 50वीं बैठक के एजेण्डा आईटम सं0 50.7 में लिये गये निर्णय के कम में ग्रामीण क्षेत्र में सेक्टर प्लॉन नहीं होने के कारण प्रकरण को स्थगित रखते हुए निर्णय लिया गया कि जोन 11 ए व 11 बी में सेक्टर प्लॉन के अभाव में प्रभावित योजनाओं के संदर्भ में एजेण्डा बनाकर प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा सं0 2 :- विवेकानन्द गृ.नि.स.स. की योजना श्री राम नगर के अनुमोदन के संबंध में।

योजना अनुमोदन के सबंध में प्रकरण को समिति की बैठक दिनांक 13.10.2004 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि वरिष्ट नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) इस योजना में आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखते हुए संशोधन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें, निर्णयानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा खाली भूखण्ड में से समानुपात में 5'-0'' चौड़ी भूपट्टी का क्षेत्र कम करते हुए योजना में संशोधन

कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति ने संशोधित योजना मानचित्र का अवलोकन किया तथा संशोधित योजना मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं0 3 :- जल महल हा.को.सोसायटी की योजना दुर्गा विहार विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत कए विचार विमर्श पश्चात निम्न शर्तो के साथ योजना की अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना का आवासीय प्रतिशत अधिक है, इसलिए भूखण्ड सं. 1, 7, 9, 13 के सामने की सड़क की चौडाई 35'-0'' की जावे तथा इन भूखण्डों के सामने 5'-0'' चोडी भू पट्टी सडक हेतु ली जावे।
2. अन्य सड़कों की चौडाई कम से कम 30'-0'' की जावे।
3. भू.सं. 12 व 12ए सड़क में आ रहे है, इसलिए इन भूखंडों को अस्वीकृत किया जावे।
4. सड़क पर कब्जा किए छोटे भूखंडों को अस्वीकृत किया जावे।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 160
दिनांक :- 01/11/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।